



# वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर (30प्र0)

पी-एच0 डी0 कोर्सवर्क में सफल शोधार्थियों द्वारा पी-एच0डी0 उपाधि हेतु प्रस्तावित शोध प्रस्ताव की रूपरेखा (Synopsis) जमा करने एवं शोध उपाधि समिति (आर0 डी0 सी0) द्वारा उनके परीक्षण सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश

वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर के पी-एच0डी0 प्रोग्राम के अन्तर्गत पी-एच0डी0-कोर्सवर्क में सफल शोधार्थियों से विश्वविद्यालय की पी-एच0डी0 उपाधि हेतु शोध-प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। इस सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं:-

1. शोधार्थियों के शोध प्रस्ताव पी-एच0 डी0 कोर्सवर्क हेतु विषयवार निर्धारित अध्ययन केन्द्रों के माध्यम से विश्वविद्यालय में जमा किये जाएँगे। इस कार्य हेतु शोधार्थियों को अध्ययन केन्द्र या विश्वविद्यालय को किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं है।
2. शोधार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध 'शोध प्रस्ताव की रूपरेखा (Synopsis) जमा करने हेतु आवेदन पत्र' पूरित कर अपने विषय से सम्बन्धित अध्ययन केन्द्र पर जमा करेंगे। इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक प्रपत्र हैं-(1).पी-एच0 डी0 कोर्सवर्क परीक्षा के अंकपत्र की छायाप्रति, (2).पी-एच0डी0 कोर्सवर्क में प्रवेश के समय निर्धारित अनिवार्य अर्हता सम्बन्धी प्रमाणपत्र [CET/Regular Teacher/International Student/UGC/CSIR/ICAR, etc.-NET/JRF/GATE/Serving Army, Navy and Air-force Officer] की छायाप्रति, (3).शोध-प्रस्ताव की रूपरेखा (Synopsis) की हार्डकॉपी।  
**नोट:-**शोधार्थी अपने आवेदन सम्बन्धी समस्त प्रपत्र ए-4 साईज के पेपर पर एक साथ इस क्रम में संलग्न कर उसे नत्थी कर या बाइण्ड कराकर सम्बन्धित अध्ययन केन्द्र पर जमा करेंगे-(i) आवेदन पत्र, (ii) पी-एच0 डी0 कोर्सवर्क परीक्षा के अंकपत्र की छायाप्रति, (iii) पी-एच0डी0 कोर्सवर्क में प्रवेश के समय निर्धारित अनिवार्य अर्हता सम्बन्धी प्रमाणपत्र की छायाप्रति, (iv) आरक्षण की सुविधा प्राप्त अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणपत्र की छायाप्रति, (v) शोध-प्रस्ताव की रूपरेखा (Synopsis), (vi) पॉवर प्वाइण्ट प्रजेण्टेशन (पी0पी0टी0) का स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट।
3. शोधार्थियों को पी-एच0 डी0 कोर्सवर्क परीक्षा के अंकपत्र सम्बन्धित विषय के पी-एच0 डी0 कोर्सवर्क के अध्ययन केन्द्र पर उपलब्ध होंगे।
4. पी-एच0डी0 उपाधि हेतु शोधार्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध-प्रस्तावों का परीक्षण एवं अन्य समस्त प्रक्रिया विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध 'The VBS Purvanchal University Jaunpur Doctor of Philosophy (Ph.D.) Degree Ordinance, 2013' के अनुसार पूर्ण की जाएगी। अतः शोधार्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पूर्व निम्नलिखित प्रावधानों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें-

7.01- During the Course Work the student shall interact with Ph.D. supervisors with vacant seats available in his chosen broad sub discipline. The allocation of the supervisor for an eligible student shall be decided by the counseling committee comprising of the Dean or the Director of Institute, Head of the Department and prospective Supervisors, in a formal

manner depending on the number of students per faculty member, the available specialization among the faculty supervisors, the research interest of the student as indicated during the interview by the candidate. The allocation of supervisor shall not be left to the individual student or teacher.

- 7.02- On successful completion of course work, the student shall submit synopsis for Ph.D. work. The synopsis shall be placed before a Research Degree Committee (hereinafter referred to as the RDC), which may be separate for each department and shall consist of-
- a) The Vice-Chancellor as Chairman,
  - b) The Dean of the faculty or the Director of the Institute,
  - c) The Head of the Department (in case of the subjects taught only in affiliated colleges, the senior most teacher with the eligibility of a Ph.D. supervisor as mentioned in section 8), as convener and
  - d) Two external experts nominated by the Vice-Chancellor in consultation with the members mentioned at (b) and (c) above for one year.
- The Vice-Chancellor may invite a person of repute as a member of the Committee.
- 7.03- The Research Degree Committee (RDC) shall arrange for an interview which may include Presentations, Group Discussions or other mode of appraisal.
- 7.04- The candidates, who have successfully completed their course work, shall be required to be present before the RDC for presentation of synopsis. The supervisors may also attend the RDC meeting. The committee shall satisfy itself that the subject offered is such which can properly be pursued under the guidance of the supervisor and that the candidate possesses the requisite qualifications and the adequate facilities and equipment for work exist at the department/research Centre or Institution concerned.
- 7.05- At the time of Interview the candidate is expected to discuss his/her area of research interest in the concerned subject.
- 7.06- The RDC will recommend those candidates whose synopsis has been found suitable for approval of the Vice-Chancellor through the convener.
- 7.07- In case, the RDC finds that the synopsis is not up to the mark, it shall make specific suggestions for improving the synopsis. The candidate after making the necessary improvements shall re-submit his/her synopsis for approval. The revised synopsis is to be submitted within 30 days from the date of the RDC meeting to be placed before the next meeting of the RDC. If RDC is satisfied on these points, it shall report the application to the Academic Council for permission being granted to the Candidate.
- 7.08- In case, the synopsis is rejected, the candidate may submit the new synopsis within two months to be placed before the next meeting of the RDC. No further chance will be given after the submission.
- 7.09- Only the predetermined number of students shall be admitted to Ph.D. programme.
- 7.10- While granting admission to candidate, the University will pay due attention to the State Reservation Policy.
- 7.11- A candidate may be allowed to pursue his/her research work at one of the Government aided affiliated/associated/constituent college in the regular departments having P.G. courses with 10 year of standing.
- 7.12- The Dean of each faculty shall place all such recommendations before the Vice-Chancellor for final approval for registration as a Ph.D. student of the University.
5. पी-एच0डी0 कोर्सवर्क परीक्षा में सफल सभी शोधार्थी उक्त आवेदन के लिए अर्ह हैं।
6. जिन शोधार्थियों के लिए शोध-निर्देशक का निर्धारण पूर्व में (पी-एच0डी0 कोर्सवर्क में प्रवेश हेतु आयोजित काउंसलिंग के समय) हो गया है, वे अपने शोध-निर्देशक का नाम आवेदन पत्र और शोध-प्रस्ताव की रूपरेखा में अंकित करेंगे।
7. जिन शोधार्थियों के लिए शोध-निर्देशक का निर्धारण पूर्व में (पी-एच0डी0 कोर्सवर्क में प्रवेश हेतु आयोजित काउंसलिंग के समय) नहीं हो पाया था, किन्तु उन्हें कोर्सवर्क के अध्ययन के समय किसी शोध-निर्देशक

से मौखिक/लिखित सहमति प्राप्त हो गयी है, वे भी आवेदन पत्र और शोध-प्रस्ताव की रूपरेखा में अपने शोध-निर्देशक का नाम अंकित करेंगे।

8. जिन शोधार्थियों के लिए शोध-निर्देशक का निर्धारण पूर्व में (पी-एच0डी0 कोर्सवर्क में प्रवेश हेतु आयोजित काउंसलिंग के समय) नहीं हो पाया था और कोर्सवर्क के अध्ययन के समय भी किसी शोध-निर्देशक से मौखिक/लिखित सहमति नहीं प्राप्त हो पायी है, वे आवेदन पत्र और शोध-प्रस्ताव की रूपरेखा में शोध-निर्देशक का नाम अंकित करने वाले कॉलम को रिक्त रखेंगे।
9. शोधार्थियों के शोध प्रस्ताव का परीक्षण आर0डी0सी0 (शोध उपाधि समिति) द्वारा किया जाएगा। इसमें शोधार्थी को 'पॉवर प्वाइण्ट प्रजेण्टेशन' के माध्यम से अपने शोध-प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण करना होगा। शोधार्थी को पॉवर प्वाइण्ट प्रजेण्टेशन (पी0पी0टी0) की प्रिंट कापी अपने हस्ताक्षर के साथ आवेदन के समय ही जमा करना होगा।
10. आर0 डी0 सी0 (शोध उपाधि समिति) के समक्ष शोधार्थी के शोध-प्रस्ताव के परीक्षण के समय सम्बन्धित शोधार्थी के शोध-निर्देशक भी उपस्थित रहेंगे। किसी विशेष परिस्थिति में सम्बन्धित शोध-निर्देशक के न उपस्थित हो पाने की स्थिति में भी शोधार्थी के शोध-प्रस्ताव का परीक्षण आर0 डी0 सी0 (शोध उपाधि समिति) द्वारा किया जाएगा। किन्तु किसी भी परिस्थिति में शोधार्थी के उपस्थित न हो पाने की दशा में उसके शोध-प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा, साथ ही उसका अभ्यर्थन भी निरस्त हो जाएगा।
11. शोधार्थी सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु विश्वविद्यालय के शोध सेल के ई-मेल आई0 डी0- vbspuphd15@gmail.com से स्वयं को लिंक कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने ई-मेल आई डी0 से अंग्रेजी में जो सूचनाएँ प्रेषित करनी हैं, वे इस प्रकार हैं:-(1.) नाम, (2.) पिता का नाम, (3.) पत्र-व्यवहार का पता (पिनकोड के साथ), (4.) मोबाईल नम्बर, (5.) विषय/विभाग, (6.) स्थायी ई-मेल आई0 डी0।
12. पी-एच0डी0 उपाधि हेतु प्रस्तावित किये जाने वाले शोध-प्रस्ताव की रूपरेखा (Synopsis) जमा करने एवं आर0 डी0 सी0 (शोध उपाधि समिति) द्वारा उनके परीक्षण सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रम की समय-सारिणी इस प्रकार है:-

क्रम	कार्यक्रम	दिनांक	स्थान
1.	शोध-प्रस्ताव की रूपरेखा (Synopsis) एवं आवेदन पत्र जमा करना	10.01.2017	पी-एच0डी0 कोर्सवर्क के विषयवार अध्ययन केन्द्रों पर।
2.	अध्ययन केन्द्र द्वारा विषयवार प्राप्त शोध-प्रस्तावों की रूपरेखा (Synopsis) एवं आवेदन पत्रों एवं शोध-प्रस्तावों को सूचीबद्ध करके विश्वविद्यालय में जमा करना।	12.01.2017	उप कुलसचिव, शैक्षणिक अनुभाग, विश्वविद्यालय।
3.	विषयवार शोध-प्रस्तावों की रूपरेखा (Synopsis) का परीक्षण	16-21 जनवरी, 2017	विश्वविद्यालय परिसर।
<b>नोट</b> -आर0 डी0 सी0 (शोध उपाधि समिति) की बैठक की विषयवार स्थान एवं दिनांक की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रकाशित की गयी है।			

(कुलसचिव)